



2026:AHC-LKO:10402-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय
लखनऊ
प्रथम अपील सं. - 41/2024

प्रांजलि तिवारी

.....अपीलकर्ता(गण)

बनाम

मृगांक श्रीवास्तव

.....प्रतिवादी(गण)

अपीलकर्ता(गण) के अधिवक्ता	:	द्विजेंद्र मिश्रा, राम जीत दुबे
प्रतिवादी(गण) के अधिवक्ता	:	देवेंद्र कुमार राय, राम कुमार सिंह, विश्वास शुक्ला

न्यायालय सं. - 1

माननीय न्यायमूर्ति राजन रॉय
माननीय न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी

1. अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री द्विजेंद्र मिश्रा और एकमात्र प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री विश्वास शुक्ला के वादधारक अधिवक्ता श्री अच्युतानंद मणि त्रिपाठी को सुना गया।

2. यह अपील अपीलकर्ता प्रांजलि तिवारी ने परिवार न्यायालय अधिनियम, 1984 की धारा 19(1) के अंतर्गत की है, जिसमें अपर प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय-5, लखनऊ के पुराने वाद सं. 244/2017, नए वाद सं. 3336/2019, सीएनआर सं. यूपीएलकेओ20052222019, हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 13-ए के अंतर्गत दिए गए दिनांक 08.01.2024 के निर्णय और आदेश को चुनौती दी गई है।

3. कार्यवाई के दौरान, मामले को दिनांक 10 नवंबर, 2025 के आदेशानुसार लखनऊ में इस न्यायालय के मध्यस्थता और सुलह केन्द्र के समक्ष मध्यस्थता के लिए भेजा गया था।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

मध्यस्थों की रिपोर्ट मिल गई है। जिसके अनुसार, दोनों पक्ष एक समझौते पर पहुंच गए हैं। मध्यस्थों और विवाद के पक्षकारों के हस्ताक्षर किए हुए दिनांक 20.01.2026 के समझौता ज्ञापन की प्रति भी अभिलेख में प्रस्तुत की गई है।

4. उपर्युक्त समझौता ज्ञापन इस प्रकार है:-

“यह समझौता ज्ञापन दिनांक 20.01.2026 को, प्रांजलि तिवारी बेटी महेंद्र कुमार तिवारी पत्नी मृगांक श्रीवास्तव निवासी अविनाश निकेतन स्वराज कॉलोनी, जेल रोड, गली सं. 4, पी.एस.-सिविल लाइंस, पोस्ट-बांदा, जिला-बांदा (प्रथम पक्ष) और मृगांक श्रीवास्तव बेटे दिनेश चंद्र श्रीवास्तव निवासी एच. सं. 78, प्रकाश हार्मोनी दाऊदियाल रोड, काशीपुर, उधम सिंह नगर, उत्तराखंड (द्वितीय पक्ष) के मध्य हुआ।

जबकि

1. पक्षकारों के मध्य विवाद और मतभेद हो गए थे और प्रथम अपील सं. 41/2024 (प्रांजलि तिवारी बनाम मृगांक श्रीवास्तव) इलाहाबाद उच्च न्यायालय, लखनऊ में दाखिल की गई थी।
2. माननीय न्यायमूर्ति श्रीमती संगीता चंद्रा और माननीय न्यायमूर्ति अमिताभ कुमार राय के दिनांक 10.11.2025 के आदेश के माध्यम से मामला मध्यस्थता/सुलह के लिए भेजा गया था।
3. पक्षकारों में इस बात पर सहमत हुई कि श्री अजय कुमार राय, अधिवक्ता और श्री ध्रुव माथुर, अधिवक्ता उनके मध्यस्थ/सुलहकर्ता के रूप में कार्य करेंगे।
4. सुलह/मध्यस्थता की प्रक्रिया के दौरान कई बैठकें हुईं और पक्षकारों ने मध्यस्थ/सुलहकर्ता की सहायता से अपनी स्वेच्छा से अपने सभी विवाद और मतभेदों को सुलझाते हुए एक सौहार्दपूर्ण समाधान निकाल लिया है।
5. पक्षकार यह पुष्टि और घोषणा करते हैं कि वे अपनी स्वेच्छा से मध्यस्थ/सुलहकर्ता की उपस्थिति में इस समझौता ज्ञापन पर पहुंचे हैं और इस समझौता ज्ञापन पर पहुंचने में किसी भी पक्ष पर किसी भी तरह का कोई दबाव या अनुचित प्रभाव नहीं डाला गया है।
6. पक्षकारों के मध्य निम्नलिखित समझौता हुआ है:-

क. कि दोनों पक्ष, यानी प्रांजलि तिवारी (प्रथम पक्ष) और मृगांक श्रीवास्तव (द्वितीय पक्ष) का तलाक हो गया है, जो पुराने वाद सं. 244/2017, नए वाद सं. 3336/2019

सीएनआर सं. यूपीएलकेओ20052222019 में अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय-5 लखनऊ द्वारा पारित की गई डिक्री दिनांक 08.01.2024 के अनुसार है और वे इसे स्वीकार करने के लिए सहमत हो गए हैं।

ख. कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है और प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष के विरुद्ध अपने सभी दावे, जिसमें अस्थायी/स्थायी गुजाराभता भी शामिल है, के एक बार के एकमुश्त पूर्ण एवं अंतिम समझौते के लिए कुल रुपए 20,00,000/- (केवल बीस लाख रुपये) लेने के लिए सहमत हो गया है। रुपए 20,00,000/- (केवल बीस लाख रुपये) की राशि में से, रुपए 10,00,000/- (केवल दस लाख रुपये) द्वितीय पक्ष ने प्रथम पक्ष को दो डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम दिए हैं, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, आज यानी दिनांक 20.01.2026 को इस समझौता जापन पर हस्ताक्षर करते समय:

(i) डिमांड ड्राफ्ट सं. 007542 दिनांक 17.01.2026 जो इंडियन बैंक, आई.बी. काशीपुर (2055) पर 5,00,000/- रुपये (केवल पाँच लाख) का है, प्रांजलि तिवारी के नाम पर जारी किया गया।

(ii). डिमांड ड्राफ्ट सं. 012587 दिनांक 17.01.2026 जो एच.डी.एफ.सी बैंक पर 5,00,000/- रुपये (केवल पाँच लाख) का है, प्रांजलि तिवारी के नाम पर जारी किया गया।

ग. कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि बाकी की राशि रुपये 10,00,000/- (केवल दस लाख रुपये) इस समझौता जापन पर हस्ताक्षर करने की दिनांक 20.01.2026 से एक महीने के अंदर द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को दे देगा।

घ. कि दोनों पक्षों के मध्य यह भी सहमति हुई है कि द्वितीय पक्ष दिसंबर 2025 तक का शेष, अगर कोई हो, तो इस समझौता जापन पर हस्ताक्षर करने के दिनांक से एक हफ्ते के अंदर, अपर प्रधान न्यायाधीश परिवार न्यायालय-5, लखनऊ के दिनांक 08.01.2024 के आदेशानुसार प्रथम पक्ष को दिए जाने वाली भरण पोषण राशि से संबंधित कोई भी शेष चुका देगा।

ङ. कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि उन्होंने अपनी पूरी संतुष्टि के साथ सभी वस्तुएं, कपड़े, आभूषण आदि आदान-प्रदान कर लिए हैं और इस बारे में दोनों पक्षों के मध्य कोई लेन-देन शेष नहीं है।

च. कि दोनों पक्ष लंबित वाद को आगे न बढ़ाने पर सहमत हैं, जिनकी जानकारी नीचे दी गई है, और अगर लंबित वाद इस समझौता ज्ञापन के अनुसार निपटाए जाते हैं तो दोनों पक्षों को कोई आपत्ति नहीं होगी।

अ) वाद सं. 3116/2024 दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 128 के अंतर्गत (प्रांजलि तिवारी बनाम मृगांक श्रीवास्तव) अपर प्रधान न्यायाधीश, 5th लखनऊ के समक्ष लंबित है।

ब) वाद सं. 364/2016 घरेलू हिंसा अधिनियम की धारा 12 के अंतर्गत (प्रांजलि तिवारी बनाम मृगांक श्रीवास्तव) अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट VIII, लखनऊ के समक्ष लंबित है।

उपर्युक्त वादों के अतिरिक्त यदि पक्षों और/या उनके किसी परिवार के सदस्य के मध्य कोई और वाद लंबित है, तो उसे भी इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत निपटाया जाएगा और दोनों पक्ष अपने और उनके परिवार के सदस्यों के बीच सभी मुकदमों को समाप्त करने में सहयोग करने के लिए सहमत हैं।

छ. कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि वे माननीय उच्च न्यायालय में लंबित आपराधिक पुनरीक्षण सं. 354/2024 (प्रांजलि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) को आगे नहीं बढ़ाएंगे और यदि माननीय उच्च न्यायालय इस समझौता ज्ञापन के आधार पर आपराधिक पुनरीक्षण सं. 354/2024 (प्रांजलि बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य) पर निर्णय करता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

ज. कि पक्ष यह वचन देते हैं कि दोनों पक्ष ऊपर बताए गए सभी नियमों एवं शर्तों का पालन करेंगे और यदि उनमें से कोई ऐसा करने में विफल होता है, तो वह न्यायालय के साथ छल करने का दोषी होगा, अतः न्यायालय की अवमानना का भी दोषी होगा।

झ. कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि यदि माननीय उच्च न्यायालय प्रथम अपील सं. 41/2004 (प्रांजलि तिवारी बनाम मृगांक श्रीवास्तव) पर इस समझौता ज्ञापन के अंतर्गत निर्णय करता है तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं होगी।

ञ. पक्षकारों के मध्य यह भी तय हुआ है कि न तो वे स्वयं और न ही उनके परिवार का कोई सदस्य भविष्य में इस विवाद या इससे संबंधित या उनके विवाह से संबंधित किसी मामले के संबंध में एक-दूसरे या अपने किसी रिश्तेदार या परिवार के सदस्यों के विरुद्ध आपराधिक या दीवानी कार्रवाई के रूप में कोई वाद शुरू करेगा या सोशल मीडिया पर एक

दूसरे के विरुद्ध कुछ भी पोस्ट करेगा और यदि कोई कार्रवाई पहले ही शुरू हो चुकी है तो उसे इस समझौता ज्ञापन के अनुसार निपटाया जाएगा।

ट. कि दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हैं कि इस समझौता ज्ञापन पर पहुँचने में किसी भी पक्ष पर किसी भी तरह का कोई दबाव या अनुचित प्रभाव नहीं डाला गया है।

ठ. कि दोनों पक्ष इस समझौते की शर्तों एवं नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगे। किसी भी प्रकार के उल्लंघन की स्थिति में, उल्लंघन करने वाला पक्ष न्यायालय के साथ छल करने का दोषी होगा, अतः न्यायालय की अवमानना का भी दोषी होगा।

7. इस समझौते पर हस्ताक्षर करके, दोनों पक्ष यह स्पष्ट करते हैं कि प्रथम अपील सं. 41/2024 (प्रांजलि तिवारी बनाम मृगांक श्रीवास्तव) से संबंधित मामले के संबंध में उनका एक-दूसरे के विरुद्ध कोई और दावा या मांग नहीं है और इस संबंध में सभी विवाद और मतभेद पक्षकारों द्वारा सुलह/मध्यस्थता की प्रक्रिया के माध्यम से आपसी सहमति से सुलझा लिए गए हैं।

उपरोक्त समझौता ज्ञापन के तथ्यों को प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री अच्युतानंद मणि त्रिपाठी और अपीलकर्ता के अधिवक्ता श्री द्विजेंद्र मिश्रा ने स्वीकार किया है।

5. तदनुसार, हम उपर्युक्त समझौता ज्ञापन के अनुसार इस अपील को निस्तारित करते हैं।

(न्यायमूर्ति अबधेश कुमार चौधरी) (न्यायमूर्ति राजन राँय)

10 फरवरी, 2026

प्रवीण